



UGC National Eligibility Test (UGC-NET) December-2019

Corrigendum

(01 November, 2019)

The clause 4.4 (iii)/relevant clause of the Information Bulletin/notification of UGC-NET, December 2019 may be read as below:

As mentioned in the Information Bulletin (Pg. no. 5)

4.4 Exemption (Eligibility for Assistant Professor)

(iii) For SET Candidates: The candidates who have cleared the States Eligibility Test (SET) accredited by UGC for Assistant Professor held prior to 1st December 2002, are exempted from appearing in NET, and are eligible to apply for Assistant Professor anywhere in India. For SET held from 1st December 2002 onwards, the qualified candidates are eligible to apply for the post of Assistant Professor only in the universities/colleges situated in the State from where they have cleared their SET.

Revised (Read as)

4.4 Exemption (Eligibility for Assistant Professor)

(iii) For SET Candidates: The candidates who have cleared the States Eligibility Test (SET) accredited by UGC for Assistant Professor held prior to 1st June 2002, are exempted from appearing in NET, and are eligible to apply for Assistant Professor anywhere in India. For SET held from 1st June 2002 onwards, the qualified candidates are eligible to apply for the post of Assistant Professor only in the universities/colleges situated in the State from where they have cleared their SET.

Senior Director NTA (UGC-NET)





यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) दिसम्बर 2019

शुद्धिपत्र (दिनांक 01 नवंबर, 2019)

यूजीसी-नेट, दिसंबर 2019 के सूचना बुलेटिन/अधिसूचना के उपनियम 4.4 (iii)/प्रासंगिक उपनियम को निम्नानुसार पढ़ा जाएं:

सूचना बुलेटिन में जैसा उल्लखित है (पृष्ठ सं. 11)

4.4 छुट (सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता)

(iii) सेट अभ्यर्थियों के लिए: जिन अभ्यर्थियों ने यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त सहायक प्रोफेसर के लिए 1 दिसंबर 2002 से पहले आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) उत्तीर्ण की है, नेट में बैठने के लिए छूट दी गई है और भारत में कहीं भी सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 1 दिसंबर 2002 से आयोजित एसईटी की परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी, केवल उसी राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हैं जहां से उन्होंने अपने एसईटी की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

संशोधित (निम्नानुसार पढ़ा जाए)

4.4 छुट (सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता)

(iii) सेट अभ्यर्थियों के लिए: जिन अभ्यर्थियों ने यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त सहायक प्रोफेसर के लिए 1 जून 2002 से पहले आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी) उत्तीर्ण की है, नेट में बैठने के लिए छूट दी गई है और भारत में कहीं भी सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। 1 जून 2002 से आयोजित एसईटी की परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी, केवल उसी राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हैं जहां से उन्होंने अपने एसईटी की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

वरिष्ठ निदेशक एनटीए (यूजीसी-नेट)